(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 08 / 2026

पंजीकरण संख्या :– 2026 / 54

बउनवान

चंद्रमोहन मीणा पुत्र श्री दौलतराम मीणा निवासी जारेला तह. मांगरोल जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 29.05.2026

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2026 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार 11 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी :–

1. उपनिवेशन विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2011 (पत्र क्र. प. 19(27)उप / 2009) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
2. उक्त आदेश के प्राप्त होने की तिथि तथा उसके अनुपालन हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण (नोटशीट सहित) उपलब्ध कराया जाए।
3. वर्ष 2011 से वर्तमान तक संबंधित फाइल किन–किन अधिकारियों / कर्मचारियों के पास रही, उसका नाम, पदनाम एवं अवधि सहित विवरण (फाइल मूवमेंट रजिस्टर सहित) प्रदान किया जाए।
4. उक्त आदेश के अनुपालन (रिकार्ड संशोधन / नामांतरण) की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसके कारणों का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
5. आदेश के अनुपालन में देरी के संबंध में विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही / समीक्षा की गई है? संबंधित अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
6. वर्तमान में उक्त प्रकरण किस अधिकारी के पास लंबित है? उसका नाम, पदनाम एवं कार्यालय का विवरण प्रदान किया जाए।
7. आवेदक के विरूद्ध धारा 91 के अंतर्गत वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व क्या उक्त आदेश का परीक्षण किया गया? यदि हां तो उसका रिकार्ड उपलब्ध कराया जाए।
8. आवेदक के विरूद्ध लगाए गए जुर्माने का वर्षवार संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया जाए।
9. उक्त जुर्माना किस नियम / धारा / आदेश के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उसका स्पष्ट विवरण प्रदान किया जाए।
10. जुर्माना किस अवधि (किस वर्ष से किस वर्ष तक) के लिए निर्धारित किया गया है, इसका विवरण उपलब्ध कराया जाए।
11. उक्त जुर्माने की गणना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

उक्त 11 बिंदुओं की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 29.05.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को जरिये सम्मन क्रमांक 393–394 दिनांक 13.05.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 393–394 दिनांक 13.05.2026 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2026/2446–2447 दिनांक 29.05.2026 से 11 बिंदुओं का बिंदुवार जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है जो निम्नानुसार है :–

1. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2. उक्त आदेश के संबंध में कार्यवाही श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां के स्तर से की जानी है।
3. सूचना प्रश्नात्मक होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
4. सूचना प्रश्नात्मक होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
5. सूचना प्रश्नात्मक होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
6. सूचना प्रश्नात्मक होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
7. सूचना प्रश्नात्मक है।
8. आवेदक के विरूद्ध लगाया गया जुर्माना संवत् 82 रबी में तावान चारागाह 3680 है।
9. उक्त जुर्माना राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।
10. जुर्माना संवत् 82 में रबी की फसल के लिए निर्धारित किया गया है।
11. जुर्माने की गणना की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार, मांगरोल के पत्र क्रमांक/राजस्व/2026/2446–2447 दि. 29.05.2026 से अपीलार्थी को भिजवाते हुए इस न्यायालय को भी प्रतिलिपि दी गई।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल के विरूद्व प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ